प्रेस-नोट दि0-27.09.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं पुलिस टीम से दुर्व्यवहार व हमला करने प्रकरण में 07 अभियुक्ता गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना पट्टी पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कु्ुन्दनपुर में नोटिस तामिला कराने पहंची थी
ग्राम कुन्दनपुर में अभियुक्ताओं द्वाररा सरकारी कार्य में बाधा डालने हुए पुलिस टीम से दुर्व्यवहार व हमला किया गया
प्रतापगढ़-
दिनांक 26.09.2024 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुन्दनपुर में थाना पट्टी पुलिस टीम अभियुक्त राजू सरोज के घर नोटिस तामिला कराने पहंची थी। आरोपियों द्वारा उग्र व एक राय होकर पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्य में बांधा पहुंचाते हुए दुर्व्यवहार करने तथा लाठी, डण्डों, हसिया, कुल्हाड़ी से हमला करने के प्रकरण में मु0अ0सं0- 298/24 धारा 191(2), 191(3), 190, 121(1), 115(2), 351(2), 125, 132, 221, 352, 109 बीएनएस बनाम 08 नामजद अभियुक्ता व 05-06 अज्ञात अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार कि नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 श्याम सुन्दर गिरि मय हमराह उ0नि0 एहसानुल हक खाँ, उ0नि0 रमिल कुमार, म0उ0नि0 ज्योति सविता,म0उ0नि0 अर्चना, हे0का0 विनोद सिंह, हे0का0 रामचन्द्र प्रसाद, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 विधिचन्द, का0 हरिकेश पाल, का0 सत्यम शर्मा, का0 पवन, अवस्थी, म0का0 रिंकी सोनकर, म0का0 कल्पना यादव, चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेण्डिग विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 298/24 धारा 191(2), 191(3), 190, 121(1), 115(2), 351(2), 125, 132, 221, 352, 109 बीएनएस से संबंधित 07 अभियुक्ता 01- अमरवती देवी पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज, 02- रीनू सरोज पत्नी राजू सरोज, 03 मालती पत्नी शैलेन्द्र सरोज, 04- करमाइता देवी पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज, 05- शोभावती पत्नी स्व0 बाबूलाल, 06- इन्द्रावती देवी पत्नी जीतलाल सरोज, 07- मोनू उर्फ मोनी पत्नी विनोद कुमार सरोज निवासीगण ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुन्दनपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

01- अमरवती देवी पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02- रीनू सरोज पत्नी राजू सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03 मालती पत्नी शैलेन्द्र सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
04- करमाइता देवी पत्नी स्व0 रामनरेश सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
05- शोभावती पत्नी स्व0 बाबूलाल निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
06- इन्द्रावती देवी पत्नी जीतलाल सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
07- मोनू उर्फ मोनी पत्नी विनोद कुमार सरोज निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 श्याम सुन्दर गिरि मय हमराह उ0नि0 एहसानुल हक खाँ, उ0नि0 रमिल कुमार, म0उ0नि0 ज्योति सविता,म0उ0नि0 अर्चना, हे0का0 विनोद सिंह, हे0का0 रामचन्द्र प्रसाद, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 विधिचन्द, का0 हरिकेश पाल, का0 सत्यम शर्मा, का0 पवन, अवस्थी, म0का0 रिंकी सोनकर, म0का0 कल्पना यादव, चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बयान- सरकारी कार्य में बांधा डालना एवं दुर्व्यवहार करना दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध कारित करने वाले अभियुक्तो के विरुद्ध जीरो टालरेंस नीति के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों/व्यक्तियों को इस प्रकार के अपराध कारित करने से रोकना चाहिए व बच्चों को जागरुक किया जाना आवश्यक है।

डॉ0 अनिल कुमार
पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा लालगंज कालाकाकर रोड HDFC बैंक के सामने गाली- गलौज करना, मारपीट करना, हत्या करने का प्रय़ास से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत इटैला पुलिया से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.07.2024 को वादी अपने रिश्तेदारों के साथ मनगढ़ मंदिर घूमकर वापस आते समय थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत कस्बा लालगंज कालाकाकर रोड HDFC बैंक के सामने 5-6 व्यक्तियों नें वादी की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। जिस पर वादी द्वारा पूछने पर गाली- गलौज करने लगे व मना करने पर जान से मारने की नियत से

गमछा से गला दबा देने के सं्बंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 285/2024 धारा 191(2), 109, 115(2), 352, 351(3) बनाम 01 नामजद व्यक्ति व 4-5 अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल वर्मा, का0 संजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सौरभ ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम लालूपुर(बनवारी) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत इटैला पुलिया से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

सौरभ ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम लालूपुर(बनवारी) थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 विशाल वर्मा, का0 संजय कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

वादिनी मुकदमा की भतीजी का आरोपी द्वारा अपहरण/ दुष्कर्म करने के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा हीरागंज तिराहे से 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

वादिनी मुकदमा की नाबालिक भतीजी को आरोपी द्वारा अपहरण/ दुष्कर्म करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 20.07.2024 को अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 शनी कुमार मय हमराह का0 ओमप्रकाश तोमर, का0 राहुल शर्मा, का0 रविन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64 बीएनएस व 3/4

पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिवा आर्या उर्फ राजा पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र निवासी ओम यात्री नगर, सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज को हीरागंज तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- शिवा आर्या उर्फ राजा पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र निवासी ओम यात्री नगर, सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 शनी कुमार मय हमराह का0 ओमप्रकाश तोमर, का0 राहुल शर्मा, का0 रविन्द्र कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 श्याम सुंदर, कां0 प्रदीप कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0- 407/01 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र मोतीलाल निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- शिवकुमार पुत्र मोतीलाल निवासी टक्करगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 श्याम सुंदर, कां0 प्रदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।